



कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय आदेश:

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25.04.12 के प्रावधानुसार महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा पीईईओ राउमावि रामपुरिया(सुवाणा) की अभिशंषा पर सोहन लाल जाट, प्रबोधक राप्रावि टीला का खेड़ा, रामपुरिया पं.स. सुवाणा(भीलवाड़ा) को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक **29.11.2019** से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

सोहन लाल जाट, प्रबोधक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

निदेशक की आज्ञा से

[Handwritten Signature] 22/11/2020

उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1053/वि.भत्ता/अजमेर मण्डल/2020/

दिनांक: 22.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मु) प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा(भीलवाड़ा)
3. सोहन लाल जाट, प्रबोधक राप्रावि टीला का खेड़ा, रामपुरिया पं.स. सुवाणा(भीलवाड़ा)
4. रक्षित पत्रावली।

[Handwritten Signature]

उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर